

General Advisory by Magma General Insurance Limited

Alert: Magma General Insurance Limited never offers any installation of telecommunication towers; nor does it offer any financial assistance in exchange for insurance policies.

With this communication, Magma General Insurance Limited hereby strongly advises the public to remain extra cautious and verify the credentials of the Company, in case any insurance agent, telecaller, agency, individual, etc. offers or promises to offer installation of a telecommunication tower, any form of financial assistance or makes any similar promises in relation to offering a loan in exchange of any health insurance policy/loan protector guard policy in the name of our Company. Such proposals are deceptive and fraudulent, as we do not provide any such services of installation of telecommunication towers, nor do we provide any such financial services, etc. If any person comes across any such fraudulent activities, he/she may immediately report the incident to the local police station. The notification is issued in the interest of the public.

मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा सामान्य सलाह।

चेतावनी : मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कभी भी दूरसंचार टावर की स्थापना की पेशकश नहीं करती है और न ही बीमा पॉलिसियों के बदले में कोई वितीय सहायता प्रदान करती है

इस संचार के माध्यम से, मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जनता को अतिरिक्त सतर्क और सावधान रहने और किसी भी बीमा एजेंट, टेली—कॉलर, एजेंसी के मामले में कंपनी की साख सत्यापित करने के लिए आगाह करती है। यदि कोई बीमा एजेंट, टेली—कॉलर, एजेंसी, व्यक्ति आदि दूरसंचार टावर की इंस्टालेशन की पेशकश या वादा करता है या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या हमारी कंपनी के नाम पर किसी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी /ऋण रक्षक गार्ड पॉलिसी के बदले लोन की पेशकश के संबंध में कोई समान वादा करता है, तो ऐसे प्रस्ताव भ्रामक और धोखाधडीं वाले हैं, क्योंकि हम दूरसंचार टावरों की स्थापना की कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं, और न ही हम ऐसी कोई वित्तिय सेवाएं आदि प्रदान करते हैं। यदि काई व्यक्ति ऐसी किसी भी धोखाधडीं गतिविधियों का सामना करता है या जानकारी पाता है, तो वह तुरंत धटना की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में कर सकता है। यह अधिसूचना जनता के हित में जारी की गई है।